


# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... रामकरण वगै०  
किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-22 सन्-2022

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज<br>मुकदमा नम्बर-22/2022   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामिल<br>में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 22.12.<br>2022 | <p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम भण्डपुरा भूमि ख०न० 109 वाके कुल रकबा 0.42 है० राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर गैर सायलान रामकरण वगै० पुत्र सेड्या एवं भीम पुत्र हरि जाति माली निवासी भण्डपुरा द्वारा खम्बा व तार के जाल डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायलान को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायलान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही गैर सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.44 रुपये का 50 गुणा 22 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई०एल०आर० /पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><br/>तहसीलदार<br/>मण्डावर (दौसा)</p> |  |